



उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 13/2025/914/94-2-2025-700(76)/2024
लखनऊ, दिनांक : 29 जुलाई, 2025

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-सं०वि०क०नि०-5-462/XI-2006-500(92)-2005, दिनांक 23 फरवरी, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शब्द "दस लाख" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "एक करोड़" रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 13/2025/914(1)/94-2-2025-700(76)/2024 दिनांक : 29 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 29 जुलाई, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या : 13/2025/914(2)/94-2-2025-700(76)/2024 दिनांक : 29 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
- 8- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र०।
- 9- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
- 10- विधायी अनुभाग-1
- 11- भाषा अनुभाग-5
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
उप सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 13/2025/914/94-2-2025-700(76)/2024, dated 29 July, 2025:

Notification
Order

No. 13/2025/914/94-2-2025-700(76)/2024
Lucknow; Dated : 29 July, 2025

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the following amendment in Government notification no. S.V.K.N.5-462/XI-2006-500(92)-2005, dated February 23, 2006 as amended from time to time:-

Amendment

In the aforesaid notification, for the words, "ten lakh", wherever occurring in the aforesaid notification, the words "one crore" shall be substituted.

By Order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।